(वाद सं0–1774/4/26/2019)

29.10.2021

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, अनुज किशोर प्रसाद, सहायक शिक्षक, डी0बी0आर0 के0 जालान उच्च विद्यालय, पटना सिटी, पटना द्वारा श्री पुनित किशोर रजक, सेवानिवृत प्रधानाध्यापक, मारवाड़ी उच्च विद्यालय, पटना सिटी, तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना व निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना के विरूद्ध तीन लाख रूपये की फिरौती की वसूली, वेतन त्रुटि निराकरण लंबित रखने, द्वितीय टाइम बॉन्ड को लंबित रखने व अन्य सेवारत सुविधाओं को लंबित रखने से संबंधित है।

उक्त पर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना से प्रतिवेदन की मांग की गयी। निर्देशानुसार निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना द्वारा राज्य आयोग को सूचित किया गया है कि परिवादी अनुज किशोर प्रसाद तथा पुनित किशोर रजक के बीच योग्यता को लेकर विवाद चल रहा था जिसमें उन दोनों द्वारा एक दूसरे पर आरोप–प्रत्यारोप लगाकर कई आवेदन दिये गये। बाद में माननीय ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा उनदोनों के बीच आपस में समझौता कराकर विवाद को समाप्त करा दिया गया है।

अब, जबकि प्रसंगाधीन मामले में परिवादी की समस्या का सौहार्दपूर्ण निराकरण हो चुका है तो ऐसी परिस्थिति में उक्त के संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

वर्णित स्थिति में राज्य आयोग के स्तर से प्रसंगाधीन मामले को संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

**(उज्ज्वल कुमार दुबे)**
**सदस्य**

निबंधक